#### Government of Himachal Pradesh Public Works Department

No.PWD-C-F0(5)/2/2024 (E-239529)

Dated Shimla-171002 30 October, 2024.

#### **NOTIFICATION**

WHEREAS, promoter, namely, M/S Ropeway and Rapid Transport System Development Corporation HP Limited, US Club, Shimla-171001, a State Government Undertaking, has developed an Aerial Passenger Ropeway from National Highway-21 to Mata Baglamukhi Temple (near Pandoh Dam), District Mandi, Himachal Pradesh;

AND WHEREAS, the promoter has framed draft bye-laws under section 27 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (State Act No. 7 of 1969) and the same were published in two daily news papers namely, the "Divya Himachal" and "The Tribune" on 5<sup>th</sup> September, 2024, for inviting objections, suggestions/comments, if any of the general public within 20 days from the said date of publication and as intimated by the promoter, no objection/suggestion has been received within the above stipulated period;

AND WHEREAS, the Inspector of Aerial Ropeways, Kullu has scrutinized the above draft bye-laws as per the requirement of rule 12 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Rules, 1972 and forwarded the same to the State Government for the confirmation and publication in the Official Gazette;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 27 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to confirm the bye-laws framed by the promoter and appended as Annexure "A" to this notification.

By order,

Secretary (PW) to the Government of Himachal Pradesh.

Endst. No.PWD-C-F0(5)/2/2024 (E-239529), dated Shimla-171002, 35 October, 2024. Copy forwarded to the followings:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh.
- 2. All Heads of Department in Himachal Pradesh.
- 3. Engineer-in-Chief, HP PWD, Shimla-171002.
- 4. Chairman Ropeway Expert Committee-Cum-Superintending Engineer HP PWD, Mechanical Circle, Dharamshala.
- 5. Ropeway Inspector-cum-Executive Engineer, Mechanical Division, HPPWD, Kullu.
- M/S Ropeway and Rapid Transport System Development Corporation HP Limited, US Club, Shimla-171001

(Surject Singh Rathore)
Additional Secretary(PW) to the
Government of Himachal Pradesh.

# Bye Laws of Mata Baglamukhi Ropeway Pandoh

1. The speed of the Cabins will be maximum of 6 meters per second.

2. Passengers will not be allowed to carry the items covered under the Indian Arms and Ammunition Act, 1959, Alcohols/intoxicants act, and the items listed in the schedule of prohibited items annexed as (Annexure -I) for the Ropeway while traveling on this Ropeway.

3. The maximum number of persons in each cabin will be 15+1 including any

domestic pets where maximum weight is limited to 1200 Kg.

4. The Power being used in this system is Electric power / Diesel Generator (DG)

for backup.

5. The Ropeway can be operative during any time and hour in the 24 Hrs. period of the day as per the decision of the Company. The passengers shall ensure that they embark the cabin for their return from the top station to the base station as per the request and announcements of the ground staff / Marshals of the company failing which it shall not be the responsibility/liability of the company to bring the passengers back to the base station.

6. Passengers will not be allowed to drink, eat and smoke while traveling on this

Ropeway.

7. The tariff can be subject to change at any time as per the decision of the company where a dynamic fare regime on any of its products may be imposed.

8. Passenger (s) will be bound to follow the directions of the Ground Staff for embarkation, disembarkation and riding in the Gondolas for safety purposes. Passengers will not be allowed to enter, restricted /no entry area, and any violation of the safety rules shall be the responsibility of the person, and he may be booked under section 34, 35, 36 and 37 of the Himachal Pradesh Ropeways

9. In case of accident, the company will be responsible to pay the compensation as under, through the Insurance Company,

For children below 12 Years

Rs. 1,00,000

Anyperson Above 12 years II

Rs. 5,00,000

If the Company ground staff has any doubt on any Passenger (s) traveling on this ropeway suspecting that they are carrying some goods which are restricted as per the condition No 2 of this notification, the company's ground staff will be authorized to search the baggage's of the passenger and the passenger will not object for the same.

10. Tickets once sold will not be refundable and the refund will be granted only in case the ropeway is not operative for any reason beyond the control of the company.

11. The ticket will be valid for the period as specified at the time of purchase.

12. Right of admission in the Ropeway area and Ropeway shall be at sole discretion of the Company and the company may refuse any person/group sale of its tickets without assigning any reason whatsoever.

- 13. No eatables /food items shall be allowed to be taken by any passenger on the Ropeway except medicines and baby food.
- 14.It shall be the company's prerogative whether to allow or not to allow the disembarkation of any passenger at the top terminal due to any security/safety reasons and that the command for non-opening of the cabin doors may be given so as to bring the passenger's back to the base station safely.
- 15. The security staff may remove objectionable items from the passengers and their baggage during the pre-embarkation checks and retain them in sealable bags which shall be returned to the passengers upon their return to base station however no responsibility shall lie with the company in regard to the removed articles of objection.
- 16. The passenger would be required to keep the entry Stubs/Ticket copy till the time they return back to base station after completing their journey and that the passenger(s) would be required to show on demand to any staff of the company such tickets/entry Stubs in the event of the passenger failing to show on demand such ticket/entry stub he may be stopped from boarding the Gondola and may be asked to pay the full price of tickets.
- 17. No baggage shall be allowed to be carried in the cabin except:
  - (i) Ladies purse of reasonable size
  - (ii) An over coat
  - (iii) An umbrella / walking stick
  - (iv) Reading materials
  - (v) Camera/ binoculars
  - (vi) Baby food and articles of medical necessity including wheelchairs, and that the company may charge a fee depending on the size and weight of the baggage to be carried other than mentioned above.
- 18. The company reserves to itself the right, without assigning any reason, to the commencement or continuance of the Ropeway without thereby incurring any liability in damages or otherwise to the passengers or any other person on any ground whatsoever. The company also reserves to itself the right to refuse to carry any person whom it considers unfit to travel or who in the opinion of the company may constitute risks to the Ropeway or the persons onboard.
- 19. If at any stage it is found that the Cabin with the booked load or passengers etc. will be over loaded the company will have the right to decide which passenger or articles shall be off-loaded and such decision shall be binding.
- 20. The company is not liable for any loss or damage occasioned by the passengers to their belongings.
- 21. The company undertakes to use its best efforts to carry the guest and baggage with reasonable dispatch. The company assumes no responsibility for delay of bringing back the passengers from the top station to base station due to reasons beyond the control of the company.
- 22. The company shall conduct body search as an important phase prior to embarkation where Security Staff shall carry out body search either by HHMD or with hand and that the passengers shall not object to the same. Special attention shall be given to the following points while the body search is being carried out.
  - (a) Raincoat or Jacket carried in hand, if any.
  - (b) Rolled Newspapers magazines and books etc.

- (c) Hats, hat lining, visual check of hair.
- (d) Inside collar or jackets and lapels.
- (e) Padding of shoulders in jacket/suit.
- (f) Armpits, Jacket sleeves and Palms of hands. Random check on wrist watches
- (g) Inside Jacket including all pockets.
- (h) Chest/Breast including, ties and shirt pocket, if any.
- (i) Down the back emphasis to the spine, shoulder blades.
- (i) Full circumference of waist, chest, and belt plus buckle if worn.
- (k) Trouser pockets lower part of but tucks.
- (1) Inside crotch, hands around each leg from top of inner thigh down to ankles.
- (m) Check socks and turn-ups.
- (n)Skis and Allied equipment, Adventure equipment, Paragliders, harnesses any other baggage as allowed by the company.
- (o) Shoes and high boots, possible use of metal detectors.
- 23. The company policy to handle Disruptive, Aggressive, Drunk Passenger/Person and Passenger/Person with criminal intent shall be as follows:

### (A) Disruptive Passengers at the Ropeway

There may be contingencies where the company staff will have to deal with disruptive passengers both on lower terminal and upper terminal. The company policy is to protect all staff, Guests and Customers at stations and in flight from disruptive and drunken passengers and from the effect of crime. The company may take firm action to deal with disruptive and drunken passengers and may not tolerate any threats, abuse insults or assaults from them. The company staff deemed to have acted properly will under provision of section 37 of the Ropeway Act shall report to the police and detain any such person to the police for criminal offences. An incident detail manifest annexed as (Annexure -II) shall be filled by the staff of the company and handed over to the police along

with the detained passenger(s).

### B) Aggressive Passengers

When faced with an aggressive passenger the first priority will be own safety and that of others. The staff will try to calm the passenger down or diffuse the situation by other means. If this does not happen then the matter may be dealt under the provision of Section 36 of the Act.

C) Passengers who are Drunk

Drunken passengers will be asked to leave the terminal buildings immediately and not allowed back until they have sobered down and shall be refused to embark the Gondola as they may pose a safety hazard for themselves and other passenger(s).

#### D) Assaults

The Company will not tolerate any physical assaults or threat by passenger(s) or any other person on its staff in or outside the Ropeway premises. If assaulted the police will be called at once and prosecution under Section 36 and Section 37 of the act shall be initiated. An incident detail manifest as annexed shall be filled by the staff of the company and handed over to the police along with the detained person(s)

#### E) Criminal Damage

If any person or passenger(s) commits any damage including criminal damages fully or partially to the Ropeway property he would be required to compensate, furnish to the full extent the damage done by him and the company may detain such person under the provision of Section37 of the said act and may hand him over to the police and action under relevant law will be initiated.

- 24. The company shall not be responsible for the belongings left by the passengers in the Cabin or the Ropeway premises. However, on finding any leftover articles the company staff shall preserve the same in the lost and found area in the companies' premises for any claims until a period of 45 days after which it shall be suitably disposed of or auctioned by the company.
- 25. The smooth and safe operation of the Ropeway on day-to-day basis is responsibility of the operating and Engineering staff which has been carefully appointed by the company and where the company has invested in the training and grooming of such staff for the requirement of the Ropeway operation any breach of safety regulations on part of any employee shall be the sole responsibility of that employee.
- 26. In case any person of the staff whether Technical or Non-Technical is found to be involved in an act which may put into jeopardy the Ropeway or assets of the company or endanger the safety and security of any person, passenger(s) including himself or is found to be indulging with any person in a manner that could reveal the operative methods and other confidential information of the company. Such person on the discretion of the company can be detained and handed over to the Police for further trail in the Court under the relevant Law/Act, and the employee/staff will be removed from his post and may cease to be employee of the company, where the sole responsibility shall be of such staff. Further if deemed fit the company may take legal recourse against such staff for his act of negligence and he may be charged with an intention of Sabotage and breach of trust.
- 27. The Company may appoint and empower any of its employee(s) through a board resolution who shall be responsible for the day-to-day operations, safety and security of the passengers and shall be authorized to deal with any department including the Ropeway Inspector or any representative of the Govt. where the entire responsibility of the daily operations, safety and security of Passengers and staff shall lie with such employee or employees.

28. If any passenger, individual or person is found to be present in any area which is out of bounds for such person or is found involved or a suspected to be involved

in any activity which could harm, damage or put into risk the operation of the Ropeway or assets of the Company in a manner that may harm any person or staff including being involved in theft of Ropeway equipment may be detained and handed over to the Police or information of any such person may be forwarded to the Police for suitable action under relevant Law/Act, and proceedings of criminal intent may be initiated against him.

29. The Passengers/employees shall be bound to abide with the by-laws of this Ropeway and the provisions of the Himachal Pradesh Ropeways Act.

30. The Staff that shall be deployed for operation and maintenance of the Mata Baglamukhi ropeway under sub section-E Chapter IX shall be as follow:

Technical (Operation & Maintenance)	No. of Employee	Qualification	Experience	
Resident Manager-cum station in-charge	1	Diploma and above	Minimum 5 Year	
Operator	4	Diploma and above	Minimum 3 Year	
Mechanical Fitter	1	ITI and above	Minimum 2 Yea	
Electrician	1	ITI and above	Minimum 2 Year	
Helpers	1	ITI and above	Minimum 1 Yea	
Administrative Manpow	er			
Customer Care Executive	2	Graduate and above	Minimum 1 Year	
Ushers	2	10 <sup>th</sup> and above		

The staff shall be employed by the company after selection and verification of academic and moral profile, such selected personal shall be employed for a probation period of one year in case of technical department and six months for non-technical departments and after completion of their probation or training period as the case maybe they shall be considered as permanent employees of the company.

31. The By Laws under section 27 and sub section 2 shall be as follow:

(a) Any person who contravenes the provisions of the bye-laws shall be liable to pay a fine to the extent not exceeding Rs.5000/-

(b) In case breach of bye-laws by the promoter's servant the company shall forfeit a sum not exceeding one month pay of the servant responsible for the act and may further take suitable action under provision the provision of the company bye-laws.

#### **SCHEDULEOF**

#### PROHIBITED ARTICLES FOR Mata Baglamukhi Ropeway

Sr.No	Nameof Items
1	Sealed Tins
2	Knives
3	Scissors
4	Nail Cutters
5	Gas Lighters
6	Razor Blades
7	Darts
8	Sporting Bats
9	Trademan Tools
10	Staplers
11	Syringes
12	Catapults
13	Household Cutlery
14	Pickles & Spices
15	Any type of Powder
16	Pellet Guns
17	Pepper Spray
18	Pistols
19	Plastic explosives
20	Poolcues
21	Portable Powerdrills
22	Portable Powersaws
23	Revolvers
24	Rifles
25	Road Flares
26	SCUBA Knives
27	Sabres
28	Screw drivers
29	Shot Guns
30	Spear Guns
31	Starter Pistols
32	Straight razors
33	Stun Gun Shocking Device
34	Swords
35	Teargas
36	Throwing Stars
37	Toy Transformer robots
38	Toy weapons

39	Fire Extinguishers
40	Flare Pistols
41	Gun Lighters
42	Gun Powder
43	Hammers
44	Hand Grenades
45	Hatchets
46	Hockey Sticks
47	Hunting Knives
48	Ice Axe / Ice Pick
49	Knives (Any Length)
50	Kubatons
51	Large heavy tools
52	Mace
53	Martial arts devices
54	Metal scissors
55	Axes
56	Baseball Bats
57	BB Guns
58	Billy clubs
59	Blackjacks
60	Blasting Caps
61	Bows & arrows
62	Box Cutters
63	Brass Knuckles
64	Bull Whips
65	Cattle Prods
66	Compressed art guns
67	Cork scews
68	Crowbars
69	Disabling chemical sor gases
70	Dynamite
71	Chilly Powder
72	Radio active material
73	Cigarettes, Cigars, Smoking pipes
74	Matches
75	Gutkas, Chewable Tobaccos

#### **INCIDENT DETAILS MANIFEST**

#### To be filled by the Ropeway Staff/Security Staff

In the event of any unwarranted incident conducted by any Passenger.

(i)	Was the Passenger an aggressive passenger?	Yes	No
(ii)	Was the passenger a Drunken Passenger?	Yes	No
(iii)	Was the passenger a Threatening, abusive and Insulting passenger?	Yes	No
(iv)	Has the passenger cause any Damages?	Yes	No
(v)	Has the passenger violated any rules of Section 34, 35 of the Himachal Pradesh Ropeway Act?	Yes	No
(vi)	Has the passenger been involved in any Other act of Unruly behaviour? (Give details)	Yes	No
(vii)	Did the passenger physically assaultany staff?	Yes	No
(viii)	Did the passenger use any abusive Language?	Yes	No
(ix)	Did the passenger cause any criminal Damage to Ropeway property?	Yes	No
(x)	Did the passenger manhandle any staff?	Yes	No
(xi)	Did the passenger threaten, assault or Abuse any staff?	Yes	No
(xii)	Did the passenger disobey the staff?	Yes	No
(xiii)	Did the passenger resort to any other Unruly Behaviour? (Give details)	Yes	No
(xiv)	Did the person have any criminal intent or intent of sabotage?	Yes	No
		Name:	
		Department	:

## हिमाचल प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग

संख्याःपी0डब्ल्यू0डी0-एफ0(5)/2/2024(ई-239529) तारीखः शिमला-2,30 अक्तूबर,2024

## अधिसूचना

प्रवर्तक नामतः मैसर्स रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हिमाचल प्रदेश लिमिटेड, यू. एस. क्लब, शिमला-171001, एक राज्य सरकार का उपक्रम, ने राष्ट्रीय राजमार्ग-21 से माता बगलामुखी मंदिर (पंडोह बांध के नजदीक), जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश तक एक आकाशी यात्री रज्जु मार्ग विकसित किया है;

और, प्रवर्तक ने हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का राज्य अधिनियम संख्याक 7) की धारा 27 के अधीन प्रारूप उप विधियां बनाई हैं और उन्हें जन साधारण से प्रकाशन की तारीख से बीस दिनों के भीतर आक्षेप, सुझाव/ टीका टिप्पणी, यदि कोई हो; करने के लिए तारीख 5 सितंबर, 2024 को दो दैनिक समाचार पत्रों नामतः "दिव्य हिमाचल" और "द ट्रिब्यून" में प्रकाशित किया था, और प्रवर्तक द्वारा स्चित किया गया है कि उपरोक्त निहित अवधि के भीतर कोई आक्षेप/ सुझाव प्राप्त नहीं हुए है;

और निरीक्षक आकाशी रज्जुमार्ग कुल्लू ने हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग नियम, 1972 के नियम 12 की अपेक्षा के अनुसार उपरोक्त प्रारूप उप-विधियों की संवीक्षा की है और उन्हें राज्य सरकार की पुष्टि के अनुमोदन और राजपत्र में प्रकाशन हेतु अग्रेषित किया हैं;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए प्रवर्तक द्वारा तैयार की गई तथा इस अधिसूचना के उपाबन्ध "क" में संलग्न उप-विधियों की पुष्टि करते हैं।

आदेशानुसार

सचिव (लोक निर्माण) हिमाचल प्रदेश सरकार। स्ंख्याः उपरोक्त

दिनाँकः शिमला-1710002,

**30 अक्तूबर, 2024**.

प्रतिलिपिः-

- (क) समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- (ख) समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- (ग) मुख्य अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला-171002।
- (घ) अध्यक्ष, रोपवे विशेषज्ञ समिति-सह-अधीक्षण अभियंता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माणविभाग, मैकेनिकल सर्किल, धर्मशाला।
- (ङ) रोपवे निरीक्षक-सह-कार्यकारी अभियंता, मैकेनिकल डिवीजन, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, कुल्लू।
- (च) निदेशक, मेसर्स रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एच.पी. लिमिटेड, यू. एस. क्लब, शिमला-171001
- (জ) गार्ड फाईल।

सुरजीत सिंह राठौर) अतिरिक्त सचिव (लोक निर्माण) हिमाचल प्रदेश सरकार।

## उप-विधियां माता बगलामुखी रज्जु मार्ग पंडोह

- 1. केबिन की गति अधिकतम 6 मीटर प्रति सेकंड होगी।
- 2. इस रज्जु मार्ग पर यात्रा करते समय यात्रियों को भारतीय शस्त्र एवं गोला-बारूद अधिनियम, 1959, अल्कोहल/मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं तथा रज्जु मार्ग के लिए (अनुलग्नक-I) के रूप में संलग्न प्रतिबंधित वस्तुओं की अनुसूची में सूचीबद्ध वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 3. प्रत्येक केबिन में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 15+1 होगी, जिसमें कोई भी पालतू जानवर शामिल होगा, तथा अधिकतम वजन 1200 किलोग्राम तक सीमित होगा।
- 4. इस प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली शक्ति बैकअप के लिए विद्युत शक्ति / डीजल जनरेटर (डीजी) है।
- 5. रज्जु मार्ग को कंपनी के निर्णय के अनुसार दिन के 24 घंटों में किसी भी समय और घंटे के दौरान चालू किया जा सकता है। यात्रियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कंपनी के ग्राउंड स्टाफ/मार्शल के अनुरोध और घोषणाओं के अनुसार शीर्ष स्टेशन से बेस स्टेशन पर लौटने के लिए केबिन में चढ़ें, ऐसा न करने पर यात्रियों को बेस स्टेशन पर वापस लाना कंपनी की जिम्मेदारी/दायित्व नहीं होगा।
- 6. इस रज्जु मार्ग पर यात्रा के दौरान यात्रियों को शराब पीने, खाने और धूम्रपान करने की अनुमति नहीं होगी।
- 7. कंपनी के निर्णय के अनुसार टैरिफ में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है, जहां उसके किसी भी उत्पाद पर गतिशील किराया व्यवस्था लागू की जा सकती है।
- 8. सुरक्षा उद्देश्यों के लिए यात्रियों को गोंडोला में चढ़ने, उतरने और सवारी करने के लिए ग्राउंड स्टाफ के निर्देशों का पालन करना होगा। यात्रियों को प्रतिबंधित/प्रवेश निषेध क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमित नहीं दी जाएगी, और सुरक्षा नियमों का कोई भी उल्लंघन उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी, और उस पर हिमाचल प्रदेश रज्जु मार्ग अधिनियम की धारा 34, 35, 36 और 37 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
- 9. दुर्घटना की स्थिति में, कंपनी बीमा कंपनी के माध्यम से निम्नानुसार मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होगी,

I 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए

₹.1,00,000

II 12 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति

₹. 5,00,000

यदि कम्पनी के ग्राउंड स्टाफ को इस रज्जु मार्ग पर यात्रा कर रहे किसी यात्री पर संदेह होता है कि वे कुछ ऐसा सामान ले जा रहे हैं जो इस अधिसूचना की शर्त संख्या 2 के अनुसार प्रतिबंधित है, तो कम्पनी के ग्राउंड स्टाफ को यात्री के सामान की तलाशी लेने का अधिकार होगा और यात्री इस पर कोई आपित नहीं करेगा।

- 10. एक बार बिक जाने के बाद टिकट वापस नहीं किए जाएंगे तथा धन वापसी केवल तभी की जाएगी जब कंपनी के नियंत्रण से बाहर किसी कारण से रज्जु मार्ग चालू न हो।
- 11. टिकट खरीद के समय निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा।
- 12. रज्जु मार्ग क्षेत्र और रज्जु मार्ग में प्रवेश का अधिकार कंपनी के पूर्ण विवेक पर होगा और कंपनी बिना कोई कारण बताए किसी भी व्यक्ति/समूह को टिकट बेचने से मना कर सकती है।
- 13. किसी भी यात्री को रज्जु मार्ग पर दवाइयों और शिशु आहार के अलावा कोई भी खाद्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 14. यह कंपनी का विशेषाधिकार होगा कि वह किसी सुरक्षा/संरक्षा कारणों से किसी यात्री को शीर्ष टर्मिनल पर उतरने की अनुमित दे या न दे तथा केबिन के दरवाजे न खोलने का आदेश दिया जा सकता है, ताकि यात्री को सुरक्षित रूप से बेस स्टेशन पर वापस लाया जा सके।
- 15. सुरक्षा कर्मचारी, पूर्व-आरोहण जांच के दौरान यात्रियों और उनके सामान से आपितजनक वस्तुओं को निकाल सकते हैं तथा उन्हें सीलबंद बैग में रख सकते हैं, जिन्हें यात्रियों को उनके बेस स्टेशन पर लौटने पर वापस कर दिया जाएगा, तथापि आपितजनक वस्तुओं को हटाए जाने के संबंध में कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 16. यात्री को अपनी यात्रा पूरी करने के बाद बेस स्टेशन पर वापस लौटने तक प्रवेश स्टब्स/टिकट की प्रति अपने पास रखनी होगी तथा यात्री को कंपनी के किसी भी कर्मचारी को मांगने पर ऐसी टिकटें/प्रवेश स्टब्स दिखाने की आवश्यकता होगी; यदि यात्री मांगने पर ऐसी टिकटें/प्रवेश स्टब्स नहीं दिखा पाता है तो उसे गोंडोला में चढ़ने से रोका जा सकता है तथा उससे टिकटों की पूरी कीमत चुकाने के लिए कहा जा सकता है।
- 17. केबिन में निम्नलिखित के अलावा कोई भी सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी:
  - (i) उचित आकार का महिलाओं का पर्स
  - (ii) एक ओवर कोट
  - (iii) एक छाता / छड़ी
  - (iv) पठन सामग्री
  - (v) कैमरा/ दूरबीन
  - (vi) शिशु आहार और व्हीलचेयर सिहत चिकित्सा संबंधी आवश्यक वस्तुएं, तथा कंपनी ऊपर बताए गए सामान के अलावा ले जाए जाने वाले सामान के आकार और वजन के आधार पर शुल्क ले सकती है।
- 18. कंपनी बिना कोई कारण बताए रज्जु मार्ग को चालू या चालू रखने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जिससे यात्रियों या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी आधार पर नुकसान या अन्य प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाने से मना

- करने का भी अधिकार सुरक्षित रखती है जिसे वह यात्रा के लिए अयोग्य समझती है या जो कंपनी की राय में रज्जु मार्ग या उसमें सवार लोगों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।
- 19. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि बुक किए गए सामान या यात्रियों आदि से युक्त केबिन में क्षमता से अधिक सामान भरा हुआ है, तो कंपनी को यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि किस यात्री या सामान को उतारा जाए और ऐसा निर्णय बाध्यकारी होगा।
- 20. कंपनी यात्रियों के सामान को हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- 21. कंपनी अतिथि और सामान को उचित समय पर ले जाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने का वचन देती है। कंपनी के नियंत्रण से परे कारणों से यात्रियों को शीर्ष स्टेशन से बेस स्टेशन तक वापस लाने में देरी के लिए कंपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है।
- 22. कंपनी गोंडोला में चढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में शारीरिक तलाशी लेगी, जिसमें सुरक्षा कर्मचारी या तो एच0एच0एम0डी0 द्वारा या हाथ से शारीरिक तलाशी लेंगे और यात्रियों को इस पर कोई आपित नहीं होगी। शारीरिक तलाशी लेते समय निम्न बातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  - (क) हाथ में रेनकोट या जैकेट, यदि कोई हो तो।
  - (ख) रोल्ड समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें आदि।
  - (ग) टोपी, टोपी का अस्तर, बालों की दृश्य जांच।
  - (घ) जैकेट के अंदर का कॉलर और लैपल्स।
  - (ङ) जैकेट/सूट में कंधों पर पैडिंग।
  - (च) बगल, जैकेट की आस्तीन और हाथों की हथेलियाँ। कलाई घड़ियों की यादच्छिक जाँच।
  - (छ) जैकेट के अंदर की सभी जेबें।
  - (ज) छाती/छाती, टाई और शर्ट की जेब, यदि कोई हो।
  - (झ) पीठ के नीचे रीढ़ की हड्डी, कंधे की हड्डियों पर जोर।
  - (ञ) कमर, छाती और बेल्ट की पूरी परिधि तथा बकल यदि पहना हो तो।
  - (ट) पतलून की जेब का निचला हिस्सा टक।
  - (ठ) जांघ के अंदरूनी भाग के ऊपर से लेकर टखनों तक प्रत्येक पैर के चारों और हाथ से जाँच ।
  - (इ) मोजे और टर्न-अप की जाँच।
  - (ढ) स्की और संबद्घ उपकरण, साहसिक उपकरण, पैराग्लाइडर, कंपनी द्वारा अनुमत कोई अन्य सामान।
  - (ण) जूते और ऊँचे बूट, मेटल डिटेक्टर का संभावित उपयोग।

23. व्यवधानकारी, आक्रामक, नशे में धुत यात्री/व्यक्ति तथा आपराधिक इरादे वाले यात्री/व्यक्ति से निपटने के लिए कंपनी की नीति निम्नानुसार होगी:

### (क) रज्जु मार्ग पर विघटनकारी यात्री

ऐसी आकस्मिकताएँ हो सकती हैं जहाँ कंपनी के कर्मचारियों को निचले टर्मिनल और ऊपरी टर्मिनल दोनों पर उपद्रवी यात्रियों से निपटना पड़े। कंपनी की नीति सभी कर्मचारियों, मेहमानों और ग्राहकों को स्टेशनों और उड़ान में उपद्रवी और शराबी यात्रियों से और अपराध के प्रभाव से बचाना है। कंपनी उपद्रवी और शराबी यात्रियों से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई कर सकती है और उनसे किसी भी तरह की धमकी, गाली-गलौज या हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रज्जु मार्ग अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान के तहत उचित तरीके से काम करने वाले कंपनी के कर्मचारियों को पुलिस को रिपोर्ट करनी होगी और ऐसे किसी भी व्यक्ति को आपराधिक अपराधों के लिए पुलिस के पास हिरासत में लेना होगा। घटना का विवरण (अनुलग्नक-॥) के रूप में संलग्न है। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा फॉर्म भरा जाएगा और हिरासत में लिए गए यात्री(यात्रियों) के साथ पुलिस को सौंप दिया जाएगा।

### (ख)आक्रामक यात्री

जब कोई यात्री आक्रामक हो तो सबसे पहली प्राथमिकता खुद की और दूसरों की सुरक्षा होगी। कर्मचारी यात्री को शांत करने या अन्य तरीकों से स्थिति को शांत करने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो मामले को अधिनियम की धारा 36 के प्रावधान के तहत निपटाया जा सकता है।

### (ग) नशे में धुत यात्री

नशे में धुत यात्रियों को तुरंत टर्मिनल भवन छोड़ने के लिए कहा जाएगा तथा जब तक उनका नशा उतर न जाए, उन्हें वापस आने की अनुमित नहीं दी जाएगी तथा उन्हें गोंडोला में चढ़ने से मना कर दिया जाएगा, क्योंकि वे स्वयं तथा अन्य यात्रियों के लिए सुरक्षा खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।

### (घ) हमले

कंपनी रज्जु मार्ग परिसर में या उसके बाहर यात्री(यों) या उसके स्टाफ के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह का शारीरिक हमला या धमकी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर हमला किया जाता है तो तुरंत पुलिस को बुलाया जाएगा और अधिनियम की धारा 36 और धारा 37 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। कंपनी के स्टाफ द्वारा संलग्न घटना विवरण सूची भरकर हिरासत में लिए गए व्यक्ति(यों) के साथ पुलिस को सौंप दी जाएगी।

## (ङ) आपराधिक क्षति

यदि कोई व्यक्ति या यात्री रज्जु मार्ग संपति को पूर्णतः या आंशिक रूप से आपराधिक क्षति सहित कोई क्षति पहुंचाता है तो उसे क्षतिपूर्ति करनी होगी, उसके द्वारा की गई क्षति

- की पूरी राशि देनी होगी तथा कंपनी ऐसे व्यक्ति को उक्त अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान के तहत हिरासत में ले सकती है तथा उसे पुलिस को सौंप सकती है तथा संबंधित कानून के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी।
- 24. कंपनी केबिन या रज्जु मार्ग परिसर में यात्रियों द्वारा छोड़े गए सामान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। हालांकि, किसी भी बचे हुए सामान को मिलने पर कंपनी के कर्मचारी उसे कंपनी के परिसर में खोया-पाया क्षेत्र में किसी भी दावे के लिए 45 दिनों की अवधि तक सुरक्षित रखेंगे, जिसके बाद कंपनी द्वारा उसका उचित तरीके से निपटान किया जाएगा या उसकी नीलामी की जाएगी।
- 25.रज्जु मार्ग का दिन-प्रतिदिन सुचारू और सुरक्षित संचालन परिचालन और इंजीनियरिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है, जिन्हें कंपनी द्वारा सावधानीपूर्वक नियुक्त किया गया है और जहां कंपनी ने रज्जु मार्ग संचालन की आवश्यकता के लिए ऐसे कर्मचारियों के प्रशिक्षण और प्रशिक्षण में निवेश किया है, किसी भी कर्मचारी की ओर से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन उस कर्मचारी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।
- 26.यदि स्टाफ का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह तकनीकी हो या गैर-तकनीकी, किसी ऐसे कार्य में शामिल पाया जाता है, जो रज्जु मार्ग या कंपनी की संपित को खतरे में डाल सकता है या स्वयं सिहत किसी व्यक्ति, यात्री(यों) की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लिप्त पाया जाता है, जिससे कंपनी की पिरचालन पद्धतियों और अन्य गोपनीय जानकारी का खुलासा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को कंपनी के विवेक पर हिरासत में लिया जा सकता है और संबंधित कानून/अधिनियम के तहत अदालत में आगे की सुनवाई के लिए पुलिस को सौंपा जा सकता है, और कर्मचारी/स्टाफ को उसके पद से हटा दिया जाएगा और वह कंपनी का कर्मचारी नहीं रह सकता है, जहां पूरी जिम्मेदारी ऐसे स्टाफ की होगी। इसके अलावा, यदि उचित समझा जाए तो कंपनी ऐसे स्टाफ के खिलाफ उसकी लापरवाही के लिए कानूनी सहारा ले सकती है और उस पर तोड़फोड़ और विश्वासघात के इरादे से आरोप लगाया जा सकता है।
- 27. कंपनी बोर्ड के प्रस्ताव के माध्यम से अपने किसी भी कर्मचारी को नियुक्त और सशक्त कर सकती है, जो दिन-प्रतिदिन के संचालन, यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और रज्जु मार्ग इंस्पेक्टर या सरकार के किसी प्रतिनिधि सहित किसी भी विभाग के साथ काम करने के लिए अधिकृत होगा, जहां यात्रियों और कर्मचारियों के दैनिक संचालन, सुरक्षा और संरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ऐसे कर्मचारी या कर्मचारियों के पास होगी।
- 28.यदि कोई यात्री, व्यक्ति या शख्स किसी ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है जो ऐसे व्यक्ति के लिए सीमा से बाहर है या किसी ऐसी गतिविधि में शामिल पाया जाता है या इसमें शामिल होने का संदेह है जो रज्जु मार्ग के संचालन या कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है या जोखिम में डाल सकता है, जिससे किसी व्यक्ति या कर्मचारी को नुकसान हो सकता है, जिसमें रज्जु मार्ग

उपकरण की चोरी में शामिल होना भी शामिल है, तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है और पुलिस को सौंपा जा सकता है या ऐसे किसी व्यक्ति की जानकारी संबंधित कानून/अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई के लिए पुलिस को भेजी जा सकती है और उसके खिलाफ आपराधिक इरादे की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

- 29.यात्री/कर्मचारी इस रज्जु मार्ग के उपनियमों तथा हिमाचल प्रदेश रज्जु मार्ग अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
- 30.उपधारा-ई अध्याय IX के अंतर्गत माता बगलामुखी रज्जु मार्ग के संचालन और रखरखाव के लिए तैनात किए जाने वाले कर्मचारी निम्नानुसार होंगे:

तकनीकी (संचालन ए	वं कर्मचारियों	योग्यता	अनुभव
रखरखाव)	की संख्या		
रेजिडेंट मैनेजर-सह स्टेश	F 1	डिप्लोमा और उससे	न्यूनतम ५ वर्ष
प्रभारी		<b>ऊ</b> पर	
ऑपरेटर	4	डिप्लोमा और उससे	न्यूनतम ३ वर्ष
	i e	ऊपर	
यांत्रिक फिटर	1	आईटीआई और उससे	न्यूनतम २ वर्ष
		ऊपर	
इलेक्ट्रीशियन	1	आईटीआई और उससे	न्यूनतम २ वर्ष
		ऊपर	
सहायकों	1	आईटीआई और उससे	न्यूनतम १ वर्ष
		ऊपर	
प्रशासनिक जनशक्ति			
ग्राहक सेवा कार्यकारी	2	स्नातक और उससे ऊपर	न्यूनतम १ वर्ष
प्रवेशकर्ता	2	10वीं और उससे ऊपर	

कंपनी द्वारा कर्मचारियों को शैक्षणिक और नैतिक प्रोफाइल के चयन और सत्यापन के बाद नियोजित किया जाएगा, ऐसे चयनित कर्मियों को तकनीकी विभाग के मामले में एक वर्ष की परिवीक्षा अविध और गैर-तकनीकी विभागों के लिए छह महीने के लिए नियोजित किया जाएगा और उनकी परिवीक्षा या प्रशिक्षण अविध प्री होने के बाद उन्हें कंपनी के स्थायी कर्मचारी माना जाएगा।

31. धारा 27 की उपधारा 2 के अंतर्गत उपनियम निम्नानुसार होंगे: (क) कोई भी व्यक्ति जो उपनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे 5000/- रुपये से अधिक का जुर्माना देना होगा। (ख) यदि प्रमोटर के कर्मचारी द्वारा उपनियमों का उल्लंघन किया जाता है तो कंपनी उस कृत्य के लिए जिम्मेदार कर्मचारी के एक माह के वेतन से अधिक की राशि जब्त कर लेगी तथा कंपनी उपनियमों के प्रावधानों के तहत उपयुक्त कार्रवाई कर सकती है।

अनुसूची माता बगलामुखी रोपवे के लिए निषिद्ध वस्तुएँ -

क्रमांक स्ंख्या	वस्तुओं का नाम
1.	सीलबंद डिब्बे
2.	चाक्
3.	कैंची
4.	नेल कटर
5.	गैस लाइटर
6.	रेजर ब्लेड
7.	डार्ट
8.	खेल के बल्ले
9.	व्यापारी उपकरण
10.	स्टेपलर
11.	सिरिंज
12.	गुलेल
13.	घरेलू कटलरी
14.	अचार और मसाले
15.	किसी भी प्रकार का पाउडर
16.	पेलेट गन
17.	पेपर स्प्रे
18.	पिस्तौल
19.	प्लास्टिक विस्फोटक
20.	पूलक्यूस
21.	पोर्टेबल पावरड्रिल
22.	पोर्टेबल पावरसा/हैक्सा
23.	रिवाल्वर
24.	राइफल
25.	रोडफ्लेयर
26.	स्कूबा चाक्
27.	सेबर्स
28.	स्क्रू ड्राइवर
29.	शॉट गन
30.	स्पीय रगत
31.	स्टार्टर पिस्टल
32.	स्ट्रेट रेजर
33.	स्टन गन शॉकिंग डिवाइस
34.	तलवार
35.	आंसु गैस

36.	थ्रोइंग स्टार्स
37.	टॉय ट्रांसफॉर्मर रोबोट्स
38.	खिलौने हथियार
39.	अग्निषमक यंत्र
40	फलेयर पिस्टल
41.	गन लाइर्टर
42.	गन पाउडर
43.	हथौड़ा
44.	हैंड ग्रेनेड
45.	हैचिज/कुल्हाड़ियाँ
46.	हॉकी स्टिक
47.	शिकार चाक्
48.	आइस एक्स/आइस पिक
49.	चाकू (किसी भी लंबाई के)
50.	कुबाटन
51.	भारी उपकरण
52.	गदा
53.	मार्शल आर्ट डिवाइस
54.	धातु कैंची
55.	कुल्हाड़ी
56.	बेसबॉल बैट
57.	बी०बी०गन
58.	बिली क्लब
59.	ब्लैक जैक
60.	ब्लास्टिंग कैप
61.	धनुष और तीर
62.	बॉक्स कटर
63.	पीतल की पोर
64.	बुल व्हिप
65.	मवेशी उत्पाद
66.	संपीड़ित आर्टगन
67.	कार्कस्यूज
68.	क्राउबार
69.	अक्षम करने वाले रसायन
70.	- A CONTRACTOR OF THE CONTRACT
71.	डायनामाइट मिर्ची पाठडर
72.	रेडियोधर्मी पदार्थ
73.	सिगरेट, सिगार, धूम्रपान पाइप
74.	माचिस
75.	गुटका चबाने योग्य तम्बाकू

### घटना का विवरण

किसी भी यात्री द्वारा की गई किसी भी अनुचित घटना की स्थिति में रोपवे स्टाफ/सुरक्षा स्टाफ द्वारा भरा जाना है:-

1	क्या यात्री एक आक्रामक यात्री था?	हाँ	नहीं
2	क्या यात्री नशे में था?	हाँ	नहीं
3	क्या यात्री धमकी देने वाला, गाली देने वाला और अपमानजनक यात्री था?		नहीं
4	क्या यात्री ने कोई नुकसान पहुँचाया है?	हाँ	नहीं
5	क्या यात्री ने हिमाचल प्रदेश रोपवे अधिनियम की धारा 34, 35 के किसी	हाँ	नहीं
	नियम का उल्लंघन किया है?		
6	क्या यात्री किसी अन्य अनियंत्रित व्यवहार में शामिल रहा है? (विवरण दें)	हाँ	नहीं
7	क्या यात्री ने किसी कर्मचारी पर शारीरिक हमला किया?	हाँ	नहीं
8	क्या यात्री ने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया?	हाँ	नहीं
9	क्या यात्री ने रोपवे की संपत्ति को कोई आपराधिक क्षति पहुंचाई?	हाँ	नहीं
10	क्या यात्री ने किसी कर्मचारी के साथ हाथापाई की?	हाँ	नहीं
11	क्या यात्री ने किसी कर्मचारी को धमकाया, हमला किया या गाली दी?	हाँ	नहीं
12	क्या यात्री ने कर्मचारी की अवज्ञा की?	हाँ	नहीं
13	क्या यात्री ने कोई अन्य अभद्र व्यवहार किया? (विवरण दें)	हाँ	नहीं
14	क्या व्यक्ति का कोई आपराधिक इरादा या तोड़फोड़ करने का इरादा था?	हाँ	नहीं

नामः

विभागः